

लघु सिंचाई विभाग

आउटकम बजट 2022-23

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0-02
(सिंचन क्षमता में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि)
(धनराशि लाख रू0 में)

| क्र सं | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | 01.04.2021 की स्थिति (भौतिक स्थिति) | 31.03.2022 की स्थिति (भौतिक) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23 | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2022-23 | आउटकम हेतु सभावति समयावधि |
|--------|--|---|--------|---------------|--|--|--|--|---------------------------|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | राज्य योजना | | | | | | | | |
| 1 | जनजाति क्षेत्रान्तर्गत आर्टीजन कूपों का निर्माण | जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने हेतु आर्टीजन कूपों का निर्माण प्रस्तावित है। | - | 60.00 | 31449 कि0मी0 | 160.00 कि0मी0 | 5 आर्टीजन कूपों का निर्माण | 60 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन | 1 वर्ष |
| 2 | जनजाति क्षेत्र के अन्तर्गत गूल, हौज एवं पाईप लाईन का निर्माण | जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में जल स्रोतों को खेतों में पहुंचाकर, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। | - | 90.00 | 40549 सिंचाई हौज, 1433 हाईड्रम, 56431 बोरिंग पम्पसेट, 842 भूस्तरीय पम्पसेट, 731 मध्यम/गहरे नलकूप, 33 छोटे गेटेड वियर, 405 आर्टीजन कूप एवं 544554 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन | 536 सिंचाई हौज, 50 आर्टीजन कूप, 21 सोलर लिफ्ट योजना, 134 बोरिंग पम्पसेट, 46 बोरिंग पम्पसेट | 5 किमी0 सिंचाई गूल, 6 हौज एवं पाइप लाईन का निर्माण | 50 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन | 1 वर्ष |
| 3 | जनजाति क्षेत्र के अन्तर्गत गहरी बोरिंग हेतु अनुदान | जनजाति क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु गहरी बोरिंग पर अनुदान। | - | 20.00 | | | 10 गहरी बोरिंग हेतु अनुदान | 50 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन | 1 वर्ष |
| | योग टी0एस0पी0 | | | 170.00 | | | | 160 हैक्टेयर | |
| 4 | अनुसूचित जाति लाभार्थ गूल, हौज एवं पाईपलाईन का निर्माण | अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में जल स्रोतों को सिंचाई गूल एवं सिंचाई हौज पाईनलाईन द्वारा खेतों में पहुंचाकर, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। | - | 400.00 | | | 20 किमी0 सिंचाई गूल, 22 हौज एवं पाइप लाईन का निर्माण | 260 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन | 1 वर्ष |
| 5 | अनुसूचित जाति क्षेत्र के अन्तर्गत गहरी बोरिंग हेतु अनुदान | अनुसूचित जाति क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु गहरी बोरिंग हेतु अनुदान प्रस्तावित | - | 100.00 | | | 50 गहरी बोरिंग हेतु अनुदान | 250 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन | 1 वर्ष |

| योग एस0सी0एस0पी0 | | | 500.00 | | | | 670 हैक्टेयर | | |
|-------------------------|---|--|----------------|----------------|--|--|--|--|--------|
| 6 | नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण | आर्टीजन कूप, चैक डेम, क्षतिग्रस्त योजनाओं का जीर्णोधार/ सुदृढीकरण एवं लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। | - | 2200.00 | | | 60 छोटे चैक डेम, 80 रिचार्ज शाफ्ट, 15 सोलर पम्पसेट, जियो लाईन टैंको का निर्माण एवं क्षतिग्रस्त लघु सिंचाई योजनाओं का जीर्णोधार/ पुनरोद्धार | 200 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन | 1 वर्ष |
| 7 | लघु सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण | सृजित सिंचन क्षमता का उपयोग सुनिश्चित किये जाने हेतु योजनाओं की सामान्य मरम्मत एवं अनुरक्षण | 700.00 | - | | | क्षतिग्रस्त लघु सिंचाई योजनाओं का जीर्णोधार/ पुनरोद्धार | हास सिंचन क्षमता की पुर्नस्थापना। | 1 वर्ष |
| 8 | सोलर पम्प आधारित सतही लिफ्ट योजना | पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर कृषि भूमि अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ऐसे क्षेत्रों में सतही लिफ्ट योजनाओं का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। | | 200.00 | | | पर्वतीय जनपदों में 20 सतही सोलर लिफ्ट योजनाओं का निर्माण | 80 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन | 1 वर्ष |
| 9 | भूजल संरक्षण/संबर्द्धन हेतु पुर्नभरण एवं संग्रहण योजनाओं का निर्माण | मैदानी क्षेत्रों में भूजल के संरक्षण एवं संबर्द्धन योजनाओं का निर्माण तथा पर्वतीय क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं संग्रहण योजनाओं का निर्माण | | 200.00 | | | रिचार्ज शाफ्ट, तालाब, चैक डेम आदि का निर्माण | भूजल संरक्षण, जल संरक्षण एवं संबर्द्धन | 1 वर्ष |
| 10 | डी0पी0आर0 निर्माण | विभागीय योजनाओं के डी0पी0आर0 निर्माण हेतु | 10.00 | | | | - | - | |
| 11 | लघु सिंचाई अधिष्ठान | अधिष्ठान, नियोजन, प्रशासन | 3577.28 | - | | | | | |
| 12 | सलाहकार समिति | | 14.16 | - | | | | | |
| योग राज्य सेक्टर | | | 4301.44 | 3270.00 | | | | 950.00 हैक्टेयर | |

| केन्द्रपोषित योजना | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---------|--|--|---|---|--------|
| 11 | त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम/ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। | सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु गूल, हौज पाईपलाइन तथा छोटे वियर का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। | - | 4800.00 | | | 200 किमी० सिंचाई गूल, 175 हौज एवं पाइप लाईन व 01 छोटे गेटेड वियर का निर्माण | 2700 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का अतिरिक्त सृजन | 1 वर्ष |
| | त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम/ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- टी०एस०पी० | अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में जहाँ 40 प्रतिषत से अधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है, में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु गूल, हौज पाईपलाइन तथा छोटे वियर का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। | - | 100.00 | | | 4 किमी० सिंचाई गूल, 4 हौज एवं पाइप लाईन का निर्माण | 50 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का अतिरिक्त सृजन | 1 वर्ष |
| | त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम/ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- एस०सी०एस०पी० | अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में जहाँ 40 प्रतिषत से अधिक अनुसूचित जाति निवास करती है, में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु गूल, सिंचाई पाईपलाइन तथा छोटे वियर का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। | - | 450.000 | | | 19 कि०मी० सिंचाई गूल, 16 हौज एवं पाइप लाईन का निर्माण | 250 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का अतिरिक्त सृजन | 1 वर्ष |
| 14 | पी.एम.के.एस.वाई.-हर खेत को पानी (भूजल) | सोलर एवं इलेक्ट्रिक पम्प के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान करना | - | 1667.00 | | | 180 सोलर पम्प सेट का निर्माण | 800 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का अतिरिक्त सृजन | 1 वर्ष |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------|-----------------|--|--|--------------------------------|---|--------|
| 15 | प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना (कुसुम) | डीजल पम्पसेटों को सोलर पम्पसेटों से परिवर्तित करना | | 780.00 | | | 338 डीजल पम्पसेटों का ऊर्जाकरण | जैविक ईंधन के स्थान पर सौर ऊर्जा का उपयोग किये जाने पर प्रति हैक्टेयर लगभग 1.91 लाख की बचत। | 1 वर्ष |
| 17 | लघु सिंचाई संगणना | लघु सिंचाई योजनाओं, जल निकाय की संगणना एवं सांख्यिकी प्रकोष्ठ कार्मिकों का अधिष्ठान व्यय | 224.00 | - | | | - | - | |
| | योग केन्द्रपोषित योजना | | 224.00 | 7797.00 | | | | 3800.00 हैक्टेयर | |
| | योग लघु सिंचाई | | 4525.44 | 11067.00 | | | | 4750.00 हैक्टेयर 0.73 प्रतिशत अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन | |

सतत विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप :-

| क्र०सं० | SDG संकेतक | 01-04-2021 की स्थिति (भौतिक स्थिति) | 31.03.2022 की स्थिति (भौतिक) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23 | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2022-23 |
|---------|---|--|--|---|--|
| 1 | SDG- 2 सिंचन क्षमता में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि | 31449 कि०मी० सिंचाई गूल, 40549 सिंचाई हौज, 1433 हार्डड्रम, 56431 बोरिंग पम्पसेट, 842 भूस्तरीय पम्पसेट, 731 मध्यम/गहरे नलकूप, 41 छोटे गेटेड वियर, 469 आर्टीजन कूप एवं 544554 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन | 160.00 कि०मी० सिंचाई गूल, 536 सिंचाई हौज, 50 आर्टीजन कूप, 21 सोलर लिफ्ट योजना, 134 बोरिंग पम्पसेट, 46 बोरिंग पम्पसेट-सोलर, 4387 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन | 195 सोलर पम्पसेट, 20 सतही सोलर लिफ्ट योजना, 05 आर्टीजन कूप, 248 कि०मी० सिंचाई गूल, 223 सिंचाई हौज, 01 छोटा गेटेड वियर, 60 गहरी बोरिंग हेतु अनुदान, 60 चैकडेम, 80 रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण तथा 338 डीजल पम्पसेटों का ऊर्जीकरण | 4750.00 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन |